भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2473

सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)

पश्चिम बंगाल में रोजगार सृजन संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन

2473. सुश्री सयानी घोष:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) सहित रोजगार सृजन संबंधी कार्यान्वित की जा रही योजनाओं तथा उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन से अब तक आबंटित, जारी एवं उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों, सृजित रोजगार के अवसरों तथा जारी किए गए प्रोत्साहनों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार रोजगार संबंधी सभी योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में औपचारिक रोज़गार, युवाओं के रोज़गार तथा महिलाओं के रोज़गार पर उक्त योजनाओं के प्रभाव का आकलन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में उक्त योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन, नियोक्ताओं की भागीदारी तथा रोजगार परिणामों में सुधार के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ) नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश भर में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ एमएसएमई और ग्रामीण उद्यमों सहित सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई)' लागू कर रही है। इस योजना में दो भाग अर्थात भाग 'क' और भाग 'ख' शामिल हैं तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहन के माध्यम से सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना के भाग 'क' के अंतर्गत, मौजूदा और नए प्रतिष्ठानों के पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को एक महीने का

ईपीएफ वेतन प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाता है, जो अधिकतम 15,000 रुपये तक है। भाग 'ख' के अंतर्गत, कम से कम छह महीने तक प्रत्येक अतिरिक्त रोजगार के बने रहने के लिए नियोक्ताओं को प्रति माह 3000 रुपये तक प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाता है।

पश्चिम बंगाल राज्य में, योजना के भाग 'क' के अंतर्गत पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले 64,716 कर्मचारियों को 25.48 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। इसके अतिरिक्त, योजना के भाग 'ख' के अंतर्गत 3,493 पात्र प्रतिष्ठानों को 89,297 अतिरिक्त रोजगार सृजित करने के लिए 68.81 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

भारत में रोजगार और बेरोज़गारी के आधिकारिक अनुमानों को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त किया जाता है जिसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। पीएलएफएस की कार्यप्रणाली में जनवरी 2025 से संशोधन किया गया था। पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट, 2025 संशोधित श्रृंखला की पहली रिपोर्ट है जिसमें जनवरी से दिसंबर 2025 की अवधि के श्रम बाज़ार संबंधी अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2022 में 55.0% से बढ़कर वर्ष 2025 में 57.4% हो गया है। इसके अलावा, 2025 में युवाओं और महिलाओं के लिए अनुमानित डब्ल्यूपीआर क्रमशः 41.3% और 36.3% था।

इसके अलावा**,** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में सितंबर, 2017 और जुलाई, 2025 की अवधि के बीच 8.23 करोड़ से अधिक शुद्ध अभिदाता शामिल हुए हैं**,** जो रोजगार में वृद्धि और बाजार के व्यवस्थित होने का संकेत देते हैं। साथ ही**,** वर्ष 2024-25 के दौरान ईपीएफओ में 1.29 करोड़ से अधिक शुद्ध अभिदाता शामिल हुए हैं।

इसके अलावा, सरकार विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) तथा देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों आदि के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः-कौशल (रि-स्किल) और उन्नत-कौशल (अप-स्किल) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) लागू कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना तथा उन्हें उद्योग-संबंधित कौशलों से लैस करना है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई**)** ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए **'**फ्यूचर स्किल्स प्राइम**'** कार्यक्रम शुरू किया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।
